न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	रजि0 न0	निर्णय दिनांक
12/42/2022	04-02-2022	2022/100	19-04-2022

1–बाबूलाल पुत्र भौरेलाल जाति मीणा निवासी ग्राम नैथंला तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
अपीलाण्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।

असल रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेडा दिनाक 12.01.2018 प्रकरण संख्या 90/2017 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थितः–

01. श्री तेजसिंह चौधरी –वकील अपीलाण्ट

02 राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 12.01.2018 प्रकरण संख्या 90/2017 जिसके द्वारा संवत 2074 में आराजी खसरा न0 851 रकबा 0.40 किस्म बारानी में से 0.40 में जोत, 876 रकबा 1.45 किस्म चारागाह में से 0.65 जोत व 0.06 में कपास की फसल एवं आराजी खसरा न0 876/2432 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी में 0.10 में कपास, 0.40 में जोत लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली की कार्यवाही/पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड/पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 851 व 876 में रकबा 0.71 व खसरा न0 876/2432 रकबा 0.50 है0 में मौके पर कोई काश्त नही है, जोत है। रिपोर्ट पटवारी हल्का में भी मौके पर फसल न होकर जोत है। पटवारी हल्का ने भी स्वयं के आधार पर भी कोई रिपोर्ट नही की

19/04/2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज.)

बल्कि ग्राम पंचायत नैथला के द्वारा शिकायत करने पर रिपोर्ट की है। जिस शिकायत की प्रति पत्रावली में नही है। आराजी खसरा न0 851 व 876 में रकबा 0.71 व खसरा न0 876/2432 रकबा 0.50 है0 साबिक रिकॉर्ड के अनुसार बिस्वेदारी की आराजी थी। जिस पर अपीलान्ट के पूर्वज काबिज थे तथा टीनेन्सी एक्ट लागू होते वक्त भी अपीलान्ट के पूर्वज इस पर काबिज थे। आराजी को गलत तरीके से चारागाह दर्ज कर दिया जिसका दावा भी अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के यहां प्रस्तुत कर रखा है। जो विचाराधीन है, जिसकी प्रति तहसीलदार मालाखेडा को प्रस्तुत कर दी गयी थी। पटवारी हल्का द्वारा विवादित आराजी की कोई पैमाईश/सीमाज्ञान नहीं कराया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने तथा गवाहो के भी बयान कराये थे। जिन पर तहत अदालत द्वारा कोई गौर नही किया गया। उक्त विवादित आराजी अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी से लगती हुई है। पूर्ववर्ती अतिक्रमण करने का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया है, जिनके आधार पर निर्णय दिनाक 12.01.2018 निरस्तनीय है। आराजी खसरा न0 851 व 876 में रकबा 0.71 व खसरा न0 876/2432 रकबा 0.50 है0 का साबिक खसरा न0 319 रकबा 39 बीधा 1 बिस्वा था, जिसके हाल खसरा न0 839 से 856 व 875 से 877 बने है। जिसमें से आराजी खसरा न0 851 व 876 व खसरा न0 876/2432 हमारी खातेदारी में आ गया किन्तु आराजी खसरा न0 851 व 876 व खसरा न0 876/2432 गलत तरीके से बंदोबस्त विभाग ने सिवायचक चारागाह दर्ज कर दिया। उक्त तथ्य का तहत अदालत ने गौर नही किया। सम्वत 2014 से पूर्व विवादित आराजी के खसरा न0 211 रकबा 39 बीधा 5 बिस्वा थे। जो बिस्वेदारी की आराजी थी। जिस आधार पर निर्णय दिनाक 12.01.2018 निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया गया अपील में अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि आराजी खसरा न0 851 व 876 में रकबा 0.71 व खसरा न0 876/2432 रकबा 0.50 है0 साबिक रिकॉर्ड के अनुसार बिस्वेदारी की आराजी थी। जिस पर अपीलान्ट के पूर्वज काबिज थे तथा टीनेन्सी एक्ट लागू होते वक्त भी अपीलान्ट के पूर्वज इस पर काबिज थे। आराजी को गलत तरीके से चारागाह दर्ज कर दिया जिसका दावा भी अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के यहा प्रस्तुत कर रखा है। जो विचाराधीन है। जिसकी प्रति तहसीलदार मालाखेडा को प्रस्तुत कर दी गयी थी। पटवारी हल्का द्वारा विवादित आराजी की कोई पैमाईश/सीमाज्ञान नही कराया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने तथा गवाहो के भी बयान कराये थे, जिन पर तहत अदालत द्वारा कोई गौर नही किया गया। उक्त विवादित आराजी की खातेदारी की आराजी से लगती हुई है। पश्चातवती अतिक्रमण करने का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया है। जिनके आधार पर निर्णय दिनाक 12.01.2018 निरस्तनीय है।

हमने न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन मनन किया। पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 15.09.2017 को तहत अदालत के समक्ष सम्वत 2074 में आराजी खसरा न0 851 रकबा 0.40 किस्म बारानी–2 में से 0.40 में जोत, 876 रकबा 1.45 किस्म चारागाह में से 0.65 में जोत व 0.06 में कपास की फसल काश्त करने एवं आराजी खसरा न0 876/2432 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी में 0.10 में कपास काश्त, 0.40 में जोत लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी बाबूलाल पुत्र भौरेलाल जाति मीणा निवासी नैथला (बिणजारी का बास) तहसील मालाखेडा को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

19/04/2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा नोटिस का जवाब दिनाक 25.10.2017 को न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के समक्ष पेश कर निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी पर सम्वत 2010 से अप्रार्थी का कब्जा साबित है। जिस पर अप्रार्थी काबिज है व काश्त कर रहा है। साथ ही अंकित किया है कि विवादित आराजी पूर्व में चारागाह नही थी तथा आज भी मौके पर विवादित आराजी चारागाह नहीं है। अप्रार्थी भूमिहीन किसान की श्रेणी में आता है। जिस आधार पर आराजी खसरा न0 851 रकबा 0.40, 876 रकबा 1.45 है0 876/2432 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम नैथला अप्रार्थी की काबिल विनियमन है। अतः नोटिस के भार से अप्रार्थी को मुक्त फरमाया जावे। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर अलवर/न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में विचाराधीन राजस्व वाद/आदेशिकाओ की प्रतियॉ पेश की गयी है। तहत अदालत की आदेशिका दिनाक 12.01.2018 के अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किये जाने के पश्चात भी अतिक्रमण नही हटवाये जाने पर तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने हेतु राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत दिनाक 12.01.2018 को विधिवत निर्णय पारित कर अतिक्रमी को 03 माह का सिविल कारावास/पैनल्टी कायम की गयी। पारित निर्णय की पालना में विवादित आराजी से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही/फर्द नीलामी की कार्यवाही की गयी है एवं पैनल्टी की कायमी राजस्व लेखो में की गयी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजियात पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार मालाखेडा का दिनांक 12.01.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वंदना खोरवाल)
19/04/2022
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राजस्थान)